न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 325 / 2007 / रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1 बन्नाराम पुत्र बलवंत
2 सुरलाराम पुत्र बलवंत
3 सिरदारा पुत्र बलवंत
4 बोदू पुत्र बलवंत
5 गोपाल पुत्र बलवंत
6 सांझू बेवा बलवंत
7 धापली बेवा जगु उर्फ जगन्नाथ
} समस्त जाति गुजर निवासीगण दांतला तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

8 खेमाराम पुत्र नन्दाराम
9 किशोरीलाल पुत्र नन्दाराम
} समस्त जाति जाट निवासीगण खाचरियावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय   दिनांकः—16.10.2019

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गनोडा के पुराने ख0नं0 340, 341, 342, 344, 395 की खातेदारी माफीमंदिर श्री देवजी पुजारी हनुमान वल्द मोहना कोम गुर्जर सा0 दांतला तथा कृषक जग्गु वल्द मंगला कोम गुर्जर हिस्सा 1/4, लेखा वल्द गोपी कोम बलाई हिस्सा 1/2, हनुमान वल्द मोहना कोम गुर्जर हिस्सा 1/4 सा0 दांतला बकाश्त हनुमान पुत्र मोहना हिस्सा 1/2 बलूतां पुत्र जगू हिस्सा 1/2 के नाम से दर्ज थी जिसे कृषकों के नाम से खाता दर्ज कर दिया गया। नामान्तरकरण सं0 88 से जगू पुत्र मंगला हिस्सा 1/4 के बजाय मु0 धापली वेबा जगू के नाम दर्ज किया गया। नामान्तकरण सं0 123 के द्वारा खाता मु0 धापली वेबा जगू 1/4 हनुमान पुत्र मोहन हिस्सा 3/4 के नाम दर्ज किया गया। नामान्तकरण सं0 318 के द्वारा खाता राहिन एसबीबीजे खाटूश्याम जी के रहन दर्ज किया गया। बन्दोवस्त के दोरान पुराने ख0नं0 340, 341, 342, 344, 395 के नये ख0नं. 1110, 1111, 1112, 1113, 1158 परिवर्तित किये गये। नामान्तकरण सं0 9 से खाता रहनमुक्ति होना स्वीकार हुआ। नामान्तकरण सं0 148 से हनुमान पुत्र मोहन के बजाय खाता बना सुरजा सिरदारा बोदू गोपाल पि0 बलवन्त सांझू वेवा बलवन्त सुगनी रामेश्वरी पुत्रियां बलवन्त हि 1/4 के नाम दर्ज किया गया। नामान्तरकरण सं0 253 के द्वारा खाता धापली वेबा जगू का हिस्सा 1/4 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा पलसाना के नाम [illegible] ख0नं0 1111 का खाता खेमाराम किशोरीलाल [illegible] खारियावास हिस्सा 1/96 सरजा पत्र बलवंत हिस्सा 7/96 खाता सूरजा के नाम दर्ज

अति॰ जिला कलक्टर, सीकर
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवैध रूप से दर्ज किये गये है जो निरस्तनीय है। रेफरेन्स श्रीमान जी से वास्ते सादर प्रेषित है।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की और से वकील श्री गणपतलाल व महावीर प्रसाद उपस्थित आये। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009–2012 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर देवजी विराजमान मौजा दांतला पुजारी हनुमान वल्द मुन्ना कोम गुर्जर सा. दांतला के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2019 से 2022 में भू–धारक के कॉलम में माफी मन्दिर श्री देवजी पुजारी हनुमान वल्द मोहना कौम गुर्जर सा.दांतला व काश्तकार के कॉलम में जगू वल्द मंगला कोम गुर्जर हि. 1/4 लेखा वल्द गोपी कोम बलाई हि. 1/2 हनुमान वल्द मोहना कोम गुर्जर हि. 1/4 सा. दांतला बकाश्त हनुमान पुत्र मोहना हि. 1/2 बलूता पुत्र जगू हि. 1/2 मु. रसाल के नाम से दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। नामान्तकरण संख्या 88 मुताबिक खातेदार जगू फौत होने पर मु. धापली बेवा जगू कौम गुर्जर के नाम से तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण सं0 123 के द्वारा खाता मु0 धापली वेबा जगू 1/4 हनुमान पुत्र मोहन हिस्सा 3/4 के नाम दर्ज कर दिया गया। नामान्तकरण सं0 318 मुताबिक रहननामा के खाता राहिन एसबीबीजे खाटूश्याम जी के रहन दर्ज कर दिया गया। भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक खसरा नम्बर 340, 341, 342, 344, 395 जिसके नये खसरा नम्बर 1110, 1111, 1112, 1113, 1158 अंकित कर दिये गये। नामान्तकरण संख्या 9 मुताबिक रहन मुक्ति आदेश के रहन मुक्त दर्ज किया गया है। नामान्तकरण संख्या 148 के द्वारा हनुमान पुत्र मोहन के बजाय खाता बना सुरजा सिरदारा बोदू गोपाल पि0 बलवन्त सांझू वेबा बलवन्त सुगनी रामेश्वरी पुत्रियां बलवन्त हि 1/4 के नाम तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 253 के द्वारा खाता धापली वेबा जगू का हिस्सा 1/4 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा पलसाना के नाम तस्दीक कर दिया गया। इसके पश्चात् नामान्तकरण संख्या 39 के द्वारा ख0नं0 1111 का खाता खेमाराम किशोरीलाल पि0 नन्दाराम जाति जाट निवासी खारियावास हिस्सा 1/96 सुरजा पुत्र बलवंत हिस्सा 7/96 खाता सुरजा के नाम से तस्दीक कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 के मुताबिक खसरा नम्बर 1110, 1112, 1113, 1158 कुल किता 4 कुल रकबा 2.96 है0 की खातेदारी बन्ना सुरजा सिरदारा बोदू गोपाल पि. बलवंत सांझू बेवाह बलवंत हि.ब.हि. 3/4 धापली बेवाह जगू उर्फ जगन्नाथ हि. 1/4 कोम गुर्जर सा. दांतला के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009–2012 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर देवजी विराजमान मौजा दांतला पुजारी हनुमान वल्द मुन्ना कोम गुर्जर सा. दांतला के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 के मुताबिक बिना किसी आदेश के काश्तकार के कॉलम में उपरोक्त आराजियात मन्दिर के स्थान पर जगू वल्द मंगला कोम गुर्जर हि. 1/4 लेखा वल्द गोपी कोम बलाई हि. 1/2 हनुमान वल्द मोहना कोम गुर्जर हि. 1/4 सा. दांतला बकाश्त हनुमान पुत्र मोहना हि. 1/2 बलूता पुत्र जगू हि. 1/2 मु. रसाल के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित कर दी गई। इसके पश्चात् नामान्तकरण संख्या 88 मुताबिक खातेदार जगू फौत होने पर मु. धापली बेवा जगू कौम गुर्जर के नाम से तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण सं0 123 के द्वारा खाता मु0 धापली वेबा जगू 1/4 हनुमान पुत्र मोहन हिस्सा 3/4 के नाम दर्ज कर दिया गया। नामान्तकरण नामान्तकरण सं0 318 मुताबिक रहननामा के खाता रहन दर्ज कर दिया गया। नामान्तकरण

अति० जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official

राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा पलसाना के नाम तस्दीक कर दिया गया। इसके पश्चात् नामान्तकरण संख्या 39 के द्वारा ख0नं0 1111 का खाता खेमाराम किशोरीलाल पि0 नन्दाराम जाति जाट निवासी खारियावास हिस्सा 1/96 सुरजा पुत्र बलवंत हिस्सा 7/96 खाता सुरजा के नाम से तस्दीक कर दिया गया। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009—2012 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर देवजी के नाम से दर्ज रिकार्ड होने के उपरांत जमाबन्दी सम्वत् 2019 से 2022 में उक्त मन्दिर की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर दी गई, जो बिना किसी आदेश के दर्ज कर दी गई है। मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज भूमियों पर किसी अन्य को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम गनोड़ा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 340, 341, 342, 344, 395 जिसके नये खसरा नम्बर 1110, 1111, 1112, 1113, 1158 के सम्बंध में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 88, 123, 318, 9, 148, 253, 39 के द्वारा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज हुई है, जो निरस्त होने योग्य है। खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः माफी मन्दिर देवजी के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/10/19

(जयप्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official